न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कविता गोदारा, आर0ए0एस0

वाद पत्र सं :: 167/2024
जीसीएमएस सं0 :: 2024/319

1. श्रीमती नाथी देवी पत्नि रूड़ाराम
2. मदन पुत्र रूड़ाराम
3. मूलचंद पुत्र रूड़ाराम
4. गोपाल पुत्र रूड़ाराम
5. मंजू पुत्री रूड़ाराम
6. शिमला पुत्री रूड़ाराम

समस्त जाति गुर्जर नि0 ग्राम सांगरवा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज0।

– वादीगण,

बनाम

1. श्रीमती गुलाबी देवी पत्नि खेताराम पिता जवाहरलाल।
2. छितरमल पुत्र खेताराम।
3. भंवरी देवी पुत्री खेताराम।
4. मोहनी देवी पुत्री खेताराम।

समस्त जाति गुर्जर नि0 ग्राम सांगरवा तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज0।

5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, भूमिधारी तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।
6. प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा रानोली तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–. श्री भीमसिंह रूहेला,वकील वादीगण की ओर से।

दावा अंतर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट व धारा 136 एल आर एक्ट वास्ते उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एंव खाता दुरूस्ती।

निर्णय दिनांक :: 08.09.25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम सांगरवा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में भूमियां ख0नं0 262 रकबा 0.9200 है0 ख0नं0 263 रकबा 0.3800 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.3000 है0 अवस्थित है। जिसके पुराने ख0नं0 210 थे तथा वर्तमान खातेदारी लूणा पुत्र मंगला जाति गुर्जर के नाम से दर्ज है। ग्राम सांगरवा तहसील दांतारामगढ़, सीकर में एक अन्य जमाबंदी ख0नं0 259 रकबा 0.0500 है0 ख0नं0 260 रकबा 0.0100 है0 ख0नं0 261 रकबा 1.4000 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.4600 है0 अवस्थित है, जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी दर्ज है। वादीगण व प्रति0सं0 1 ता 4 का सजरा खानदान वाद के पैरा सं0 3 अनुसार है। वाद की मद सं0 1 में वर्णित भूमियों के पुराने ख0नं0 210 थे, जिसके नये ख0नं0 262 व 263 डाले गये। डूंगाराम की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण मंगला के नाम

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

दर्ज हो गया, क्योंकि माना पहले नाऔलाद फौत हो गया था। मंगला की मृत्यु के बाद विरासत लूणा के नाम दर्ज हो गयी तथा लूणा पुत्र मंगला की खातेदारी भूमि माना की विधवा पारा देवी से सुरजाराम की शादी हो जाने के कारण उक्त भूमियां सुरजाराम व उसकी मृत्यु के बाद रूडाराम व खेताराम काबिज हो गये। वाद पत्र की मद सं0 2 में वर्णित भूमियों के बारे में कोई विवाद नहीं है। उक्त भूमियां प्रति0सं0 1 ता 4 के कब्जे काश्त में है। हालांकि इन भूमियों में वादीगण का भी नाम दर्ज है। परन्तु प्रतिवादीगण जब भी चाहेगें वादीगण अपना नाम हजफ करवा लेगे। वाद पत्र की मद सं0 1 में वर्णित भूमियां ख0नं0 262, 263 ग्राम सांगरवा तह0 दांतारामगढ़, सीकर लूणा पुत्र मंगला के नाम दर्ज है, जो गलत चली आ रही है। उक्त भूमियों पर कब्जा काश्त एंव अधिकार पूर्ण तरीके से डूंगाराम के वारिसों की होने के कारण वादीगण को खातेदार उद्घोषित किया जावे तथा लूणा पुत्र मंगला का नाम हजफ किया जाकर इस आशय की उद्घोषणा की जावे। वादीगण ने वाद पत्र पेश कर वाद की मद सं0 14 की उप मद क,ख,ग अनुसार वादी डिक्री करने का निवेदन किया है।

वाद–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 ता 6 बावजूद रजिस्ट्रर्ड तामील के हाजिर नहीं आए इसलिए इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई।

वादी ने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी ख0नं0 262, 263 वाके ग्राम सांगरवा,तह0 दांतारामगढ़,सीकर की प्रति प्रदर्श–1 प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी भू प्रबन्ध विभाग, प्रदर्श–3, नकल नामान्तकरण प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी संवत् 2027–30 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी संवत् 2019–22 प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 ख0नं0 259, 260, 261 प्रदर्श–7, जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 ख0नं0 259, 260, 261 प्रदर्श–8 पेश किये। साक्ष्य में वादी ने स्वंय का शपथ–पत्र एंव शपथ–पत्र ताराचंद पुत्र शिवभगवान गुर्जर नि0 ग्राम सांगरवा तह0 दांतारामगढ़,सीकर एंव शपथ–पत्र गोपाल पुत्र रूडाराम गुर्जर नि0 ग्राम सांगरवा तह0 दांतारामगढ़,सीकर पेश किया।

बहस के दौरान वकील वादीगण द्वारा लिखित बहस पेश कर वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादीगण डिक्री करने निवेदन किया गया।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि वाद की मद सं0 1 में वर्णित भूमियों के पुराने ख0नं0 210 थे, जिसके नये ख0नं0 262 व 263 डाले गये, डूंगाराम की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण मंगला के नाम दर्ज हो गया तथा मंगला की मृत्यु के बाद विरासत लूणा के नाम दर्ज हो गयी तथा लूणा पुत्र मंगला की खातेदारी भूमि माना की विधवा पारा देवी से सुरजाराम की शादी होने से उक्त भूमियों पर सुरजाराम व उसकी मृत्यु की बाद रूडाराम व खेताराम काबिज हो गये ।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम सांगरवा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में भूमियां ख0नं0 262 रकबा 0.9200 है0 ख0नं0 263 रकबा 0.3800 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.3000 है0 भूमि का वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 1 ता 4 को 1/2, 1/2 हिस्से का खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किया जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़,सीकर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। वाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कविता गोदारा)
आर0ए0एस0
सहायक कलक्टर (मु0) सीकर